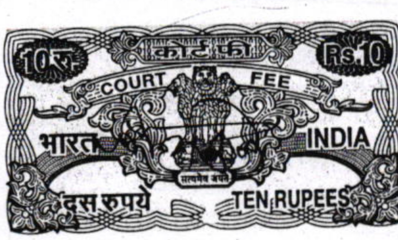

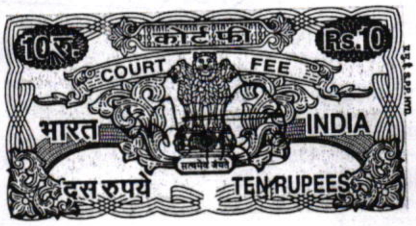

मानननीय राजस्व परिषद मध्यप्रदेश ग्वालियर

R-769-PBR/14

अमरसिंह पिता मदनसिंह राजपूत आयु 47 वर्ष
धंधा काश्त निवासी ग्राम गोगावां तहसील गोगावां
जिला खरगोन (म.प्र.) —— **आवेदक**

विरूद्ध

(1) सुरेन्द्रसिंह पिता मनोहरसिंह राजपूत आयु 28 वर्ष

(2) महेन्द्र पिता मनोहरसिंह राजपूत आयु 26 वर्ष

(3) लक्ष्मीबाई पति मनोहरसिंह राजपूत आयु 52 वर्ष
समस्त काश्तकार एवं निवासी ग्राम गोगावां
तहसील गोगावां, जिला खरगोन (म.प्र.) —— **अनावेदकगण**

श्री पंकज सोलंकी अभिभाषक द्वारा पेश ... पर प्राप्त

अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भूराजस्व संहिता पुनरीक्षण याचिका ।

इसमें मैं आवेदक, श्रीमान अपर आयुक्त महोदय इन्दौर सम्भाग इन्दौर इन्होंके रा.अपील प्र.क्र.34/12–13 मे पारित आदेश दिनांक 10/1/2014 जिसमें उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजस्व खरगोन के द्वारा अपील प्र.क्र. 57अ13/10–11 में पारित आदेश दिनांक 13/8/2012 को अपास्त करते हुए तहसीलदार गोगावां के द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/9/2010 का स्थिर रखा जाने के सम्बन्ध में आदेश पारित किया, से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिका अन्य कारणो के साथ साथ निम्न कारणो से प्रस्तुत करता हूँः–

यह पुनरीक्षण याचिका नियत समयावधि में नियत न्यायशुल्क पर विधिवत प्रस्तुत की गई है।

अधिनस्थ अपर आयुक्त महोदय इन्दौर सम्भाग इन्दौर के विवादित आदेश दिनांक 10/1/2014 की प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न प्रस्तुत है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि,

आवेदक नें पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 21/1/88 के द्वारा अनावेदक 1,2 के पिता एवं अनावेदिका 3 के पति मनोहरसिंह राजपूत से ग्राम गोगावां की कृषि भूमि खसरा क्र.374 रकबा 2.63 एकड़ की विधिवत क्रय की थी। विक्रय पत्र में

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

जिला खरगोन

प्रकरण क्रमांक निगरानी 769-पीबीआर/14

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
16-4-2018	आवेदकपक्ष व उनके अधिवक्ता दिनांक 23-6-2016 से लगातार सूचना उपरांत अनुपस्थित । आवेदकपक्ष व अधिवक्ता को तीन बार पुकार लगवाई गई, परन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण आवेदक पक्ष की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। अध्यक्ष	